न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना माहवर, आर0ए0एस0)

अपील / 01 / 2020 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

नबाब पुत्र सुन्दर जाति जाट निवासी खेड़ली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना ....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.09.2019 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 72 / 2019 उनवानी राज0 सरकार बनाम नबाब अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1–श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पेरोकार सरकार

दिनांक 07.09.2020

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 24.09.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत का आदेश विधि विरूद्ध होने से काविल निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 2132 रकवा 3.12 है0 में से 0.16 है0 भूमि पर कब्जा कर चरी की फसल बोकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी जिस पर आदेश पारित कर बेदखल करते हुये 90 दिवस की सिविल जेल के आदेश से दण्डित किया है उक्त आदेश विधि विरूद्ध होने से काविल निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अदालत तहत में उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि मैने कोई कब्जा नहीं किया नहीं किया है मगर पाया जावे तो मै छोडने को तैयार हूँ मगर अदालत तहत ने मनमाने तौर पर आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से काविल निरस्तनीय है। जबाब पेश करने के बाद अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

से कह दिया कि आपको अब आने की जरूरत नहीं है इसलिये आदेश की जानकारी अब तक नहीं हो सकी थी सबसे पहले दिनांक 10.11.2019 को पटवारी हल्का जब पैनल्टी राशि मांगने आया तो उसने बताया तो दिनांक 11.11.2019 को तहसील में जाकर जानकारी की व उसी रोज नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल प्राप्त कीं। अतः होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर किसी भी रकवें पर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट उसे छोडने एव तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को भुगतने को तैयार है। अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में दिनांक 24.09.2019 को कब्जा छोडने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय हाजा में कब्जा छोडने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। लगातार कब्जा करने एवं बेदखली का साक्ष्य तहत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्ट के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

3- यहाक अपी0 ने अदालत तहत मे उप0 होकर जवाव पेश किया कि मैने कोई

किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्ट राजकीय चारागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 2132 / 3.12 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अपीलान्ट द्वारा फसल चरी बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्ट के द्वारा तहत न्यायाल में दिनांक 24.09.2019 एवं न्यायालय हाजा में दिनांक 07.09.2020 को कब्जा छोडने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट होता है। शपथ–पत्र के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण पाये जाने पर छोडना स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य मे पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके पर अतिक्रमण नहीं पाये जाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सशर्त–आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश 24.09.2019 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर